न्यायालय परगनाधिकारी / असिस्टेंट कलेक्टर भिकियासैण।

ज0वि0वाद संख्या 08 / 2008–09

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम (भूमि अकृषिक)

वादी / आवेदिका– श्रीमती जानकी उप्रेती पत्नी श्री राधारमण उप्रेती निवासी ग्राम पैठाना पो0 स्याल्दे पट्टी वि0 चौकोट तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा।

निर्णय

वादी श्रीमती जानकी उप्रेती पत्नी श्री राधारमण उप्रेती निवासी ग्राम पैठाना पो0 स्याल्दे तहसील भकियासैण, जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने हक कब्जे की ग्राम पैठाना के ज0वि0खतौनी खाता संख्या 167 के खेत संख्या 604 मध्ये 0.014है0 भूमि के 0.006है0 में पूर्व से भवन निर्मित व 0.008है0 भूमि में वर्तमान में भवन निर्माण का कार्य किये जाने से अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र के कम में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक स्याल्दे की जॉच आख्या तथा तहसीलदार की संस्तुति के अनुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर मामले में सुनवाई की गयी है।

आवेदित भूमि ग्राम पैठाणा के श्रेणी 1–क में ज0वि0खतौनी खाता संख्या 167 की है। पूर्व से भवन निर्मित होने एवं शेष भाग में भवन निर्माण किये जाने से उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में न लाये जाने के कारण अकृषिक किये जाने हेतु खा0खतौनी उद्धरण के साथ मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शे के भूलेख नियमावली 167 के ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 143 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अनुशीलन किया गया। आवेदित भूमि आवेदिका उपरोक्त के हक व कब्जे की होना पाया गया। प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजन में व पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्सय पालन, बागवानी आदि के उपयोग की नहीं होना जॉच रिपोर्ट में कहा है, तथा इसमें भवन निर्माण किये जाने से कृषि कार्य नहीं किया जाना पाया गया है। आवेदित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में वाद के चलते किसी की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त विवेचना के आधार पर वाद में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः वादी श्रीमती जानकी उप्रेती पत्नी श्री राधारमण उप्रेती निवासी ग्राम पैठाना पटवारी क्षेत्र स्याल्दे तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा के हक व कब्जे की ग्राम पैठाणा के ज0वि0खतौनी खाता संख्या 167के बसरह नम्बर 37 के खेत संख्या 604 मध्ये 0.014है0 (ग्यारह मुट्ठी) भूमि, जो कृषि प्रयोजन में नहीं है, को धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। इस भूमि का वार्षिक लगान 10 पैसा (दस पैसा) लगान में कम हो जायेगा। इस घोषणा की प्रति तहसीलदार भिकियासैण को अभिलेखों में आवश्यक अमलदरामद हेतु एवं उपनिबन्धक भिकियासैण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेख कक्ष परेषित हो।

(चन्द्र सिंह मर्तोलिया)
परगनाधिकारी / असिस्टेंट कलेक्टर भिकियासैण।

आदेश आज दिनांक 26 / 07 / 2009 को खुले न्यायालय में उद्घोषित कर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(चन्द्र सिंह मर्तोलिया)
परगनाधिकारी / असिस्टेंट कलेक्टर भिकियासैण।

अविकल प्रतिलिपि

उपजिला मजिस्ट्रेट भिकियासैण (उत्तराखण्ड)